जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक - 06-06-2024**

थाना मंडावर पुलिस द्वारा दोस्त की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.06.2024 को रात्रि समय करीब 20.30 बजे थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शहजादपुर के खादर क्षेत्र के जंगल में एक व्यक्ति का शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लिया गया। मृतक की पहचान अनुराग (उम्र 25 वर्ष) पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के रूप में हुयी । मृतक की गले पर निशान मिले, जिससे यह प्रतीत हुआ कि मृतक अनुराग उपरोक्त की हत्या गला दबाकर की गयी है । स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक अनुराग के शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मृत्यु (Strangulation) होना पाया गया।

मृतक के पिता द्वारा थाना मंडावर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.06.2024 को समय करीब 14.00 बजे वादी की दुकान पर मुकेश कुमार पुत्र नन्दु निवासी ग्राम कूबडामंडी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर व अनमोल पुत्र रजनीश निवासी मौ0 गांधीनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर आये तथा वादी के पुत्र अनुराग राजपूत को धमकाकर चले गये। इसके पश्चात समय करीब 16.15 बजे इन दोनो ने वादी के पुत्र को फोन करके बुलाया, जिसके बाद वादी का पुत्र घर वापस नही आया और न ही उसका फोन रिसीव हुआ। वादी के पुत्र का शव थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत शहजादपुर के गंगा खादर में मिला। वादी के पुत्र की मुकेश व अनमोल द्वारा गला घोंटकर हत्या की गयी है। तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि बनाम मुकेश कुमार व अनमोल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अनमोल को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो अभियुक्त अनमोल उपरोक्त ने बताया कि मै, मुकेश एवं अनुराग आपस में दोस्त है। हम तीनो साथ बैठकर शराब का सेवन कर लिया करते थे। दिनांक 05.06.2024 को मैने तथा मुकेश ने अनुराग को बुलाकर बिजनौर से शराब खरीदी तथा शहजादपुर के खादर के जंगल में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान हमारा आपस में झगडा हो गया तथा मैने व मुकेश ने अनुराग का गला दबा दिया, जिससे अनुराग की मृत्यु हो गयी और हम लोग वहां से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनमोल पुत्र रजनीश निवासी मौ0 गांधीनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर

अभियुक्त अनमोल का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 379/22 धारा 406 भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर

2.मु0अ0सं0 606/22 धारा 379/411 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर

3.मु0अ0सं0 390/23 धारा 392/411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन्स जनपद मुजफ्फरनगर

4.मु0अ0सं0 115/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइन्स जनपद मुजफ्फरनगर

5. मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रवि तोमर थानाध्यक्ष मंडावर जनपद बिजनौर
2. कां0 दीपक थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. कां0 रिंकु थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. कां0 विनीत थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5. कां0 विपिन थाना मंडावर जनपद बिजनौर
6. कां0 कपिल थाना मंडावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना अफजलगढ   दिनॉक 06.06.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि से संबंधित मुख्य अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

अवगत कराना है कि आज दिनांक 06.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस को ग्राम हिदायतपुर टाण्डा में नसीम (उम्र 50 वर्ष) पुत्र सब्बीर निवासी ग्राम हिदायतपुर टाण्डा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर की गोली लगने से मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस एवं फील्ड यूनिट टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा सर्वसंबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

मृतक के भतीजे महबूब अहमद पुत्र शमीम ने तहरीर दी कि मृतक नसीम के भांजे 1.अखलाक पुत्र अली अहमद ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण 2.आफताब पुत्र अली अहमद 3.राशिद पुत्र मौ0 उमर 4.शहजाद पुत्र अली अहमद 5.रियासत पुत्र मौ0 उमर निवासीगण ग्राम हिदायतपुर टांडा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर 6.शमीम पुत्र बाबू रफीक निवासी ग्राम मीरापुर मोदीवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वादी के चाचा नसीम पर एकराय होकर जान से मारने की नियत से हमला किया तथा अभियुक्त अखलाक उपरोक्त ने अवैध तमंचे से अपने सगे मामा नसीम को गोली मार दी, जिससे नसीम उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि बनाम अखलाक आदि 06 नामजद व एक अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अखलाक 2.आफताब पुत्रगण अली अहमद निवासीगण ग्राम हिदायतपुर टाण्डा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.अखलाक पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम हिदायतपुर टाण्डा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.आफताब पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम हिदायतपुर टाण्डा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष श्री पुष्कर मेहरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.हे0का0 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

4.हे0का0 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

4.का0 2134 नितिन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 06.06.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 29.06.2023 को थाना धामपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त फिरोज पुत्र नौशाद निवासी मौ0 मनीहारी सराय कस्बा धामपुर जनपद बिजनौर को 1150 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 245/23 धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम फिरोज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-II, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 245/23 धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त फिरोज पुत्र नौशाद निवासी मनहारी सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- फिरोज पुत्र नौशाद निवासी मनहारी सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 06.06.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11,500/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 30.06.2020 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त आशिम पुत्र वहिद निवासी ग्राम ठाठजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर आदि के द्वारा वादी के बेटे के साथ गलत काम किया गया। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 286/20 धारा 377/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में धारा 04 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.06.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 286/20 धारा 323/377/506 भादवि व 04 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त आशिम पुत्र वहीद निवासी ग्राम ठाठजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- आशिम पुत्र वहीद निवासी ग्राम ठाठ जट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

दो युवकों ने किशोर से किया कुकर्म

संवाद सूत्र, स्योहारा : क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोर के साथ दो युवकों ने कुकर्म किया। किशोर मंदबुद्धि है, पीड़ित किशोर के स्वजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 जून की रात्रि साढ़े आठ बजे गांव निवासी दो युवक उसके मंदमुद्धि 14 वर्षीय पुत्र को घर से बुलाकर ले गए थे। आरोप है कि दोनों युवक उसके बेटे को गांव के पास स्थित एक खेत में ले गए और मारपीट कर उसे डराया धमकाया। जिसके बाद दोनों युवकों ने उसके पुत्र के साथ कुकर्म किया।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 06.06.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 219/24 धारा 147/148/34/302/323/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.06.2024 को वादी श्री शादाब आलम पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ0 तकिया गढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 05.06.2024 को अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र अब्दुल रशीद 2.मुकीम पुत्र वसीम 3.शहबाज पुत्र वसीम 4.असद पुत्र वसीम 5.अनस पुत्र वसीम 6.मुस्तकीम पुत्र वसीम 7.अमन पुत्र वसीम 8.उजैफ पुत्र वसीम 9.शन्नो पत्नी वसीम 10.किश्वर पुत्री वसीम 11.अलीम पुत्र जमालुद्दीन निवासीगण मौहल्ला तकिया गढी पश्चिमी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर 12.तालिब पुत्र अकील निवासी मौहल्ला शेखान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता शमीम अहमद के साथ मारपीट की गयी तथा इसके पश्चात अभियुक्तगणो द्वारा एक राय होकर वादी के बडे भाई दिलशाद अहमद के साथ गाली – गलौच की गयी तथा जान से मारने नियत से लाठी, डंडो से वादी के बडे भाई दिलशाद अहमद के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिससे दिलशाद अहमद की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 219/24 धारा 147/148/34/302/323/504/506 भादवि बनाम वसीम आदि कुल 12 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र अब्दुल रशीद 2.शहबाज पुत्र वसीम निवासीगण मौ0 तकिया गढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वसीम की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.वसीम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 तकिया गढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.शहबाज पुत्र वसीम निवासी मौ0 तकिया गढ़ी पश्चिमी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त डंडा (आला कत्ल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री सरताज खान थाना नहटौर जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

4.हे0कां0 609 आर्यन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

5.हे0कां0 584 संदीप कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

6.कां0 2609 दिनेश कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ		दिनॉक 06.06.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मौ0 अकील पुत्र शाहिद निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. मौ0 अकील पुत्र शाहिद निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 संदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2–मुख्य आरक्षी 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना धामपुर **दिनॉक 06.06.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 232/24 धारा 354/34/376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.05.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण इजाद अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद 2.खुर्शीद पुत्र नामालूम निवासी तेलियों का सब्दलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3.मुजक्कीर 4.अहमद हसन 5. खुर्शीद अहमद द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड की। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 232/24 धारा 354/34 भादवि व 10 पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 10 पॉक्सो अधि0 का लोप कर धारा 376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 232/24 धारा 354/34/376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त इजाद अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी तेलियो का सब्दलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.इजाद अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी तेलियो का सब्दलपुर थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.महिला निरीक्षक रीता कुमारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी 506 ओमपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.महिला आरक्षी 324 प्रवीणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक - 06-06-2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 469/2024 धारा 452/323/504/307 में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया तथा साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.06.2024 को वादी श्री फरमान पुत्र श्री अमीनूलहक निवासी मौ0 पटवारीयान कस्बा व थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 04.06.2024 को अभियुक्तगण 1.अंकित 2. सुमित पुत्रगण बैगराज निवासी मौ0 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.एक बाल अपचारी द्वारा वादी की रिश्तेदार रेशम पुत्री इशहाक निवासी काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व रेशम के छोटे भाई के साथ मारपीट की गयी तथा दिनांक 05.06.2024 को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ भी गाली-गलौच तथा मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर किया गया, जिससे वह घायल हो गया तथा अन्य लोगों को भी छर्रे लगे। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 469/2024 धारा 452/323/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे आज दिनांक 06.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 469/2024 धारा 452/323/504/307 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.सुमित पुत्र बेगराज 2.अंकित पुत्र बेगराज निवासीगण मौ0 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त अंकित उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 12 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सुमित पुत्र बेगराज निवासी मौ0 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.अंकित पुत्र बेगराज निवासी मौ0 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.एक बाल अपचारी

बरामदगी –

01 अवैध तमन्चा 12 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 प्रशिक्षु हिमांशु थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.हे0कां0 603 आदेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.कां0 2510 विजय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।